संख्या-27/2026/741/94-1-2026-312(80)/2022

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2026**

विषयः- निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 02 ertiga smart hybrid क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1330/नजारत/शि0का0लख0/2025 दिनांक 27-03-2026 का संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों संख्या-यू0पी0-70-ए0जी0-0996 व संख्या- यू0पी0-70-ए0जी0-0997 (02 एम्बेस्डर कार)के स्थान पर 02 ertiga smart hybrid (कुल कीमत रूपये 19,21,040/-) वाहन क्रय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के स्थान पर 02 ertiga smart hybrid (कुल कीमत रूपये 19,21,040/-) (रूपये उन्नीस लाख इक्कीस हजार चालीस मात्र) क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रस्तावित वाहन का क्रय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27-03-2025 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है।

(4) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 19,21,040/-) (रूपये उन्नीस लाख इक्कीस हजार चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-091 लेखाशीर्षक 4070008000300 स्टाम्प पंजीकरण-मुख्यालय मानक मद 14 मोटर गाडियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-9-662-X-2025-26 दिनांक 31-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।